शोध मंथन, 2018 ISSN: (P): 0976-5255, (e) : 2454-339X, Impact Factor 3.8942 (ICRJIFR)
UGC Approved Journal No. 40908

बाल अपराधी : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

डॉ० ज़किया रफत
एसो० प्रो० एवं विभागाध्यक्ष
समाजशास्त्र विभाग, आर0बी0डी0 महिला महाविद्यालय, बिजनौर

सारांश

वर्तमान में हमारे देश में बाल अपराध की घटनाओं में निरन्तर वृद्धि हो रही है। औद्योगीकरण, नगरीकरण, पश्चिमीकरण तथा वैश्वीकरण ने जिन नये सामाजिक मूल्यों को जन्म दिया है उसके प्रभाव से बच्चों में व्यवहार के ऐसे प्रतिमान विकसित हो रहे हैं जो समाज द्वारा मान्य नहीं हैं। बच्चों के बचपन की आदतें जैसे जिद करना, बड़ों का कहना न मानना, झगड़ना, तोड़–फोड़ करना, घर की वस्तुओं व स्कूल में कापी किताब की चोरी करना आदि आदतें उन्हें अपराधी बना देती हैं। बाल अपराध देश के माथे पर कलंक है। बच्चे राष्ट्र की धरोहर हैं। प्रस्तुत शोध पत्र का उददेश्य जनपद बिजनौर के बाल सुधार गृह में रह रहे बाल अपराधियों में बाल अपराध की स्थिति व कारण को जानना है।

मूल शब्द *पश्चिमीकरण, अपराधी*

शोध पत्र का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार हैः
डॉ० ज़किया रफत

बाल अपराधी : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

शोध मंथन, मार्च 2018,
पेज सं0 97–10

Article No. 15
http://anubooks.com
?page_id=581

डॉ० ज़किया रफत

प्रस्तावना

वर्तमान में बाल अपराध एक गंभीर समस्या बन गई है। यह समस्या केवल भारत में ही नहीं अपितु विश्व के लिए भी चिन्ता का कारण है। बाल अपराध बालक का लड़कपन या नटखटपन है जिसके वशीभूत वह कानून का उल्लंघन करता है अथवा जन–कल्याण में बाधा उत्पन्न करता है। बाल अपराध को अपराध का मुख्य द्वार कहा गया है।1 हमारे देश में बाल अपराध में निरन्तर वृद्धि हो रही है।

राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो की वर्ष 2017 में जारी रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2016 में बाल अपराध के 1 लाख 6 हजार 958 मामले दर्ज हुए जबकि वर्ष 2015 में बच्चों के खिलाफ अपराध की संख्या 94172 थी। वहीं 2015 के मुकाबले 13.6 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई। जबकि ऐसे अपराधों में 2015 में 2014 के मुकाबले 5.3 प्रतिशत वृद्धि हुई थी।2 बाल अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की स्थिति बहुत खराब है। तीनों राज्यों में इसके 15.3 प्रतिशत, 13.6 प्रतिशत और 13.1 प्रतिशत मामले दर्ज हुए। हत्या, अपहरण, अपराध में नाबालिग बच्चों की संलिप्तता और आर्थिक अपराध में दिल्ली शीर्ष पर है।3

प्रायः ऐसा देखा गया है कि न केवल शहर के विद्यार्थी, अपितु ग्रामीण विद्यार्थियों में भी उच्छृंखलता और अनुशासनहीनता आज सामान्य हो गयी है। भावी पीढ़ी के इन कर्णधारों के चरित्र को देखें तो बाल्यावस्था से अश्लीलताओं, वासनाओं, दुर्व्यसनों की दुर्गन्ध उड़ती दिखायी देती है। छोटे–छोटे बच्चों को बीड़ी पीते, गुटखा खाते देखकर ऐसा लगता है कि सारा राष्ट्र बीड़ी पी रहा है, नशा कर रहा है। युवतियों के पीछे अश्लील शब्द उछालता है तो ऐसा लगता है कि सम्पूर्ण राष्ट्र उद्दीप्त हो रहा है। आश्चर्य की बात यह है कि आज चौथी, पांचवी तथा सातवीं कक्षा के छोटे–छोटे बालक–बालिकाएं जिन्हें अपनी आयु का अहसास तक नहीं है, वर्जनाओं और मर्यादाओं की सभी सीमाओं को पीछे छोड़ चुका है।4

औद्योगीकरण, नगरीकरण, पश्चिमीकरण तथा वैश्वीकरण ने जिन नये सामाजिक मूल्यों को जन्म दिया है। उसके प्रभाव से बच्चों में व्यवहार के ऐसे प्रतिमान विकसित हो रहे है जो समाज द्वारा मान्य नहीं है। बच्चों के बचपन की आदतें, जैसे जिदद करना, बड़ों का कहना न मानना, तोड़–फोड़ करना, झगड़ना, स्कूल से भागना, घर की वस्तुओं का चुराना, आदि आदतें आगे चलकर बच्चों को अपराधी बना देती है। बाल अपराध की समस्या मुख्य रूप से उस संगठित गिरोह से सम्बन्धित है जो निर्धन बच्चों को बहला–फुसलाकर उन्हें अपराधी बना देती है।5

सामाजीकरण की प्रक्रिया में बालक जिन सामाजिक मानकों को ग्रहण करता है। जिसका प्रभाव उसके विचारों, मनोभावों एवं क्रियाओं पर पड़ता है। प्रधान मूल्य लोगों के विश्वास एवं अभिवृत्तियों को प्रभावित करते है तथा उनके व्यवहार एवं जीवनशैली में प्रतिबिम्बित होते हैं।6 यह मूल्य व्यक्ति के सम्पूर्ण सामाजिक व्यवहारों को प्रभावित करते हैं और उनके सभी प्रयत्नों पर दूरगामी प्रभाव छोड़ते हैं।7 बाल्यकाल में हम अपने परिवेश से जो कुछ भी ग्रहण करते हैं आगे चलकर उसके सकारात्मक व नकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं।

परिवार में बच्चों को अधिक लाड़–प्यार देना, उनकी अनुचित बातों को मानना, या उनकी उपेक्षा करना अथवा परिवार में बच्चों की अल्पायु में ही माता या पिता की मृत्यु हो जाना, बुरा पड़ौस, गलत मित्रों की संगत आदि ऐसे कारण हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बाल अपराध की ओर प्रेरित करते हैं। इसके अतिरिक्त आज संचार माध्यम हमारे दैनिक जीवन के अभिन्न अंग बन चुके हैं और बच्चे लगभग 35–55 घण्टे प्रति सप्ताह संचार माध्यमों के अलग–अलग स्वरूपों के सम्पर्क में होते हैं।8 संचार माध्यम उनके सामने एक ऐसे विश्व को उद्घाटित करते हैं जो उनके परिवारिक मूल्यों से अलग होता है।9 अनुसंधान बताते हैं कि असंगठित तथा बिना देखरेख की गतिविधियों में गुजरने वाला बच्चों का अधिकतर समय उन्हें समाज विरोधी मूल्यों से सम्बद्ध होने का अवसर उपलब्ध कराता है। जिसके परिणामस्वरूप आगे चलकर बाल अपराध का विकास होता है।10 वर्तमान में माता पिता के पास फुर्सत नहीं है कि वे यह देखें कि बच्चे क्या देख रहे हैं और क्या कर रहे हैं? पारिवारिक नियंत्रण भी शिथिल हुआ है। वे माता पिता की बात नहीं मान रहे हैं और मनमानी करते हैं। ऐसे में गलत लोगों की संगत उन्हें गलत दिशा में ले जाती है और वे अपराध की ओर मुड़ जाते हैं। बाल अपराधों की बढ़ती संख्या भविष्य के लिए खतरे का संकेत है। बच्चे भविष्य की धरोहर हैं लेकिन सामाजिक बुराईयों और सरकार के ढुल–मुल रवैये के चलते हमारी यह धरोहर निरन्तर पतन के रास्ते पर आगे बढ़ रही है। इस पर तत्काल अंकुश लगाने की आवश्यकता है। सामाजिक स्तर पर भी अलग से कदम उठाने की आवश्यकता है। क्योंकि बालक देश के भविष्य एवं सच्चे कर्णधार हैं। जब देश की भावी पीढ़ी पतन के गर्त में होगी तो देश का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। अतः प्रस्तुत विषय की महत्ता को देखते हुए इस पर अधिकाधिक शोध किये जाने की आवश्यकता है।

उद्देश्य

प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य बाल अपराधियों की स्थिति और कारण का अध्ययन करना है।

अध्ययन पद्धति

प्रस्तुत अध्ययन जनपद बिजनौर के बाल सुधार गृह में रहने वाले बाल अपराधियों पर आधारित हैं। वर्तमान समय में वहां 54 बाल अपराधी है। इसमें सिर्फ 25 बाल अपराधी लड़कों का चयन सुविध ाजनक निदर्शन के माध्यम से किया गया है। इसमें साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से सूचनाओं का संकलन किया गया है।

उपलब्धियां

प्रस्तुत अध्ययन में चयनित इकाईयों की सामाजिक–सांस्कृतिक पृष्ठभूमि देखने पर ज्ञात हुआ कि आयु की दृष्टि से 14 से 18 वर्ष के बाल अपराधियों की सर्वाधिक संख्या 64.2 प्रतिशत पाई गई, धार्मिक आधार पर अधिकांशतः 87 प्रतिशत हिन्दू पाये गये, जातीय आधार पर अधिसंख्यक 60.2 प्रतिशत पिछड़ी जातियों से तथा 38.8 प्रतिशत अनुसूचित जातियों से हैं। परिवार के आधार पर 80 प्रतिशत एकाकी परिवारों से आये हैं। निवास स्थान की दृष्टि से 75.2 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। 76.5 प्रतिशत के परिवार की मासिक आय रू0 9000 से कम पायी गयी।

प्र01 आप किस अपराध के कारण दण्डित हुए?

क्र.सं.	दण्डित होने के कारण	इकाईयों की संख्या	प्रतिशत
1	चोरी	12	40%
2	बिना टिकट यात्रा	9	30%
	कुल	30	100%

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि सूचनादाताओं में से 40 प्रतिशत का मानना है कि वे चोरी के अपराध में दण्डित हुए हैं और 30 प्रतिशत मानते है कि बिना टिकट यात्रा करने के कारण उन्हें दण्डित होना पड़ा है जबकि अन्य 30 प्रतिशत का कहना है कि मारपीट करने के कारण उनको दण्ड उठाना पड़ता है।

प्र02 आप अपराध गिरोह में या अकेले करते हो?

क्र.सं.	दृष्टिकोण	इकाईयों की संख्या	प्रतिशत
1	गिरोह में	24	80%
2	अकेले में	6	20%
3	मारपीट	9	30%
	कुल	30	100%

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि सूचनादाताओं में से 80 प्रतिशत का मानना है कि वे अपराध गिरोह में करते हैं जबकि 20 प्रतिशत अकेले करते हैं।

प्र03 आपके ऊपर परिवार का कैसा नियंत्रण है?

क्र.सं.	परिवार का नियंत्रण	इकाईयों की संख्या	प्रतिशत
1	बिल्कुल नहीं	15	50%
2	थोड़ा	6	20%
3	सामान्य	3	10%
4	अधिक	6	20%
	कुल	30	100%

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि सूचनादाताओं में से 50 प्रतिशत पर परिवार का बिल्कुल नियंत्रण नहीं है और 20 प्रतिशत के परिवार का थोड़ा नियंत्रण है तथा 10 प्रतिशत के परिवारों का सामान्य नियंत्रण है जबकि अन्य 20 प्रतिशत के परिवार अधिक नियंत्रण रखते हैं।

प्र04 यदि आप कोई गलती करते हैं तो माता–पिता की क्या प्रतिक्रिया होती है?

क्र.सं.	माता पिता की प्रतिक्रिया	इकाईयों की संख्या	प्रतिशत
1	कोई ध्यान नहीं देते	18	60%
2	मना करते हैं	9	30%
3	बढ़ावा देते हैं	3	10%
	कुल	30	100%

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि सूचनादाताओं में से 60 प्रतिशत इकाईयों के माता पिता उनकी गलतियों पर कोई ध्यान नहीं देते और 30 प्रतिशत के माता पिता उन्हें गलती पर टोकते है और उसे दोहराने को मना करते है जबकि अन्य 10 प्रतिशत बच्चों की गलतियों पर उन्हें बढ़ावा देते हैं।

प्र05 आप पढ़ाई में कितनी रूचि रखते है?

क्र.सं.	पढ़ाई में रूचि	इकाईयों की संख्या	प्रतिशत
1	अधिक	6	20%
2	कम	18	60%
3	बिल्कुल नहीं	6	20%
	कुल	30	100%

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि सूचनादाताओं में से 20 प्रतिशत की पढ़ाई में अधिक रूचि है और 60 प्रतिशत की कम रूचि है जबकि 20 प्रतिशत पढ़ाई में बिल्कुल रूचि नहीं लेते है।

प्र06 आपके विद्यालय में आपके अध्यापक का व्यवहार आपके प्रति कैसा है?

क्र.सं.	दृष्टिकोण	इकाईयों की संख्या	प्रतिशत
1	अच्छा	6	20%
2	कम अच्छा	12	40%
3	सामान्य	9	30%
4	बुरा	3	10%
	कुल	30	100%

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि सूचनादाताओं में से 20 प्रतिशत का मानना है कि अध्यापक का व्यवहार उनके प्रति अच्छा है और 40 प्रतिशत कहते हैं कि अध्यापक का व्यवहार कम अच्छा है तथा 30 प्रतिशत के अनुसार अध्यापक का व्यवहार उनके साथ सामान्य रहा है जबकि मात्र 10 प्रतिशत मानते हैं कि कहीं न कहीं अध्यापक का व्यवहार उनके प्रति बुरा रहा है।

प्र07 आपके अपराध करने के क्या कारण हैं?

क्र.सं.	कारण	इकाईयों की संख्या	प्रतिशत
1	हीन भावना	4	13.3%
2	शहरी ठाट–बाट का जीवन बिताने के लिए	5	16.7%
3	मानसिक इच्छाओं व आकांक्षाओं की पूर्ति हेतु	3	10%
4	आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए	10	33.3%
5	बुरे पास–पड़ौस व मित्रों से प्रभावित होकर	8	26.7%
	कुल	30	100%

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि सूचनादाताओं में से 13.3 प्रतिशत इकाईयां हीन भावना के कारण, 16.7 प्रतिशत इकाईयां शहरी ठाट–बाट का जीवन बिताने के लिए, 10 प्रतिशत इकाईयां अपनी मानसिक इच्छाओं व आकांक्षाओं की पूर्ति हेतु, सर्वाधिक 33.3 प्रतिशत इकाईयां आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, 26.7 प्रतिशत इकाईयां बुरे पास–पड़ौस तथा मित्रों से प्रभावित होने के कारण अपराध करती हैं।

निष्कर्ष

अतः वर्तमान में भारतीय समाज में बाल अपराध में निरन्तर वृद्धि हो रही है। अधिकांश बाल अपराधियों को चोरी के कारण दण्डित किया गया है। अधिकतर चोरी गिरोह में करते है। उनमें से आधों पर परिवार का नियंत्रण बिल्कुल नहीं है तथा शेष पर भी आंशिक नियंत्रण है। उनके माता पिता उनकी गलतियों पर ध्यान नहीं देते। उनकी पढ़ने में रूचि कम है। इसलिए अध्यापकों का व्यवहार भी उनके प्रति कम अच्छा है। अधिकतर बाल अपराधी अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपराध करते है।

सन्दर्भ

1. महाजन धर्मवीर एवं कमलेश महाजन **(2010)** *''अपराध एवं समाज''*, नई दिल्ली : विवेक प्रकाशन, 91
2. पाल, राजकुमार **(2017)** ''एन.सी.आर.बी. का खुलासा : पहली बार एक साल में 1 लाख से जयादा क्राइम सिफ़ बच्चों के खिलाफ'', पत्रिका, पब्लिश्ड नवम्बर 30, 2017, 08, 49–57 पी.एम. https://m.patrika.com > crime – news 7 national
3. एन.सी.आर.बी. रिपोर्ट ऑन क्राइम *''दुष्कर्म केस एम.पी.–1 रैंक एण्ड दैनिक भास्कर''*, दिसम्बर 2017, 7:19 पी.एम. आई.एस.टी.। https://m. bhaskar.com>.....> news
4. केशव, सिदार (2017) ''भारत में बढ़ता बाल अपराध, क्राइम रिकार्ड ब्यूरो के आंकड़ों में किशोर बन रहे अपराधी'', 3 फरवरी **2017**। https://keshavsidar.wordpress.com> Hkkj
5. तिवारी, आर0के0 एवं श्रीराम यादव (**2012**) *'बाल अपराध पर जनसंचार माध्यमों का प्रभाव : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन''* राधा कमल मुकर्जी : चिन्तन परम्परा, वर्ष 14 अंक 1, जनवरी – जून **2012, 8 5**
6. टर्मिनल कोर 'वेल्यूज एसोसिएटेड विद् एडोलिसेंट प्रॉबलम्स, बिहेवियर'', एडोलिसेंस 43 (133), 47–60
7. रोकेच, एम. **(1973)**, *''दि नेचर आफ ह्यूमन एटीट्यूडस''*, फ्री प्रेस, न्यूयार्क, 438।
8. स्ट्रास बर्गर, बी. **(1995)**, *''एडोलिसेंट एंड द मीडिया,''* कैलिफोर्निया : सेज, 2
9. रार्बट, डी. एवं श्रम डब्लू **(1971)** शिकागो : यूनिवर्सिटी प्रेस आफ इलिनायस, 596
10. यिन जेड, खालिम्स, डी एवं जपाटा जे0 **(1999)**, *''पार्टिसिपेशन इन लेजर एक्टिविटीज एंड इनवाल्वमेंट इन डेलीक्वेसी बाई मैक्सिकन अमेरिकन एडोलिसेन्ट्स, ''* हिजपैनिक जर्नल आफ बिहेविरल साइन्सेज, मई **1999, 21 (2) 170–185**